न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी:–अनिल कुमार चौधरी (आर0ए0एस0)

मु0नं0	ता0रजू	निर्णय दिनांक
30 / 2020	16.10.2020	10/06/2024

1. सगीर पुत्र अब्दुल गफूर उम्र 66 वर्ष जाति मुसलमान पेशा काश्तकारी निवासी लहसोडा तहसील व जिला सवाई माधोपुर

प्रार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सवाई माधोपुर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल0आर0एक्ट

उपस्थित:–

1. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा प्रार्थी की और से।

:— निर्णय —:

प्रार्थीगण ने जरिये वकील एक प्रार्थना पत्र धारा 136 एल0आर0एक्ट का पेश किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ग्राम लहसोडा तहसील व जिला सवाई माधोपुर का मूल निवासी हूँ। प्रार्थी भूमि हीन होने के कारण राजस्व ग्राम लहसोडा मेंदिनांक 02.06.89 को साविक आराजी खसरा नं0 500 रकबा 10 बीघा कृषि भूमि आवंटन हुई थी। आवंटन होने के पश्चात् गैरखातेदारी का नामान्तकरण संख्या 1223 प्रार्थी के नाम से स्वीकृत हुआ था। तहसीलदार सवाई माधोपुर ने नामानतकरण स्वीकृत करते समय सगीर के बजाय समीर दर्ज कर दिया था। इसी अनुसार का इन्द्राज साविक जमाबन्दी में हो गया । वर्तमान में भू प्रबन्ध विभाग ने साविक खसरा नं0 500 केहाल नवीन खसरा नं० 1422/2807 रकबा 2.53 है0 दर्ज कियाहै। अतः श्रीमान् जी की सेवामें प्रार्थना पत्र दुरूस्ती इन्द्राजअन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि तहसीलदार सवाई माधोपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की प्रार्थी के नाम की दुरूस्ती समीर के बजाय सगीर दुरूस्ती की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.12 14:01:21 IST
Reason: Self-Attested

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी जरिये नोटिस तलबी की गयी। प्रकरण में प्रकरण से संबंधित तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार सवाई माधोपुर से तलब की गयी। तहसीलदार सवाई माधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि सगीर खां पुत्र अब्दुल गफूर खां लहसोडा को प्रशासन गांवों

के संग अभियान 1989 मुकाम लहसोडा में साविक ख0नं0 500 में 10 बीघा भूमि का आवंटन हुआ था तथा उक्त आवंटन का नामान्तरण सं0 1223 दिनांक 21.06.1990 सगीर खां पुत्र अब्दुल गफूर कोम मुसलमान के स्वीकृत किया गया तथा उक्त नामन्तरण का अमल ग्राम लहसोडा की जमाबंदी सम्वत् 2043-46 में सगीर खां पुत्र अब्दुल गफूर कोम मुसलमान सा0 देह के नाम किया गया। उक्त साविक खसरा नंबर 500 रकबा 42 बीघा 14 बिस्वा के हाल खसरा नम्बरान में से ख0नं0 1422/2807 रकबा 2.53 भू प्रबन्ध विभाग के द्वारा तहरीर किये गये थे। दौराने भू प्रबंध की कार्यवाही के भू प्रबंध विभाग ने सहवन से सगीर खां के बजाए समीर खां का अंकन कर दिया गया जो मिसल बंदोबस्त ग्राम लहसोडा के खाता सं0 628 खसरा नंबर 1422/2807 रकबा 2.53 है0 का अंकन है। खातेदार सगीर खां पुत्र अब्दुल गफूर कोम मुसलमान को आवंटन दिनांक 02.06.1989 में आवंटन हुआ था तथा आवंटन पत्र नामान्तरण संख्या 1223 दिनांक 21.06.1990 में नाम सगीर खां शुद्व था परंतु भू प्रबंध कार्यवाही के खातेदार का नाम सगीर खां की बजाए समीर खां कर दिया गया जो राजस्व विभाग, भू प्रबंध विभाग की सहवन से अशुद्व हुई है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ जमाबंदी सम्वत् 2070 से 73 के खाता संख्या 620 ग्राम लहसोडा, साविक जमाबंदी सम्वत् 2043 से 2046, नामान्तरण संख्या 1223 दिनांक 26.06.1990, आवंटन सूची दिनांक 02.06.1989, तुलनात्मक क्षेत्रफल, ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र दिनांक 23.09.2020 मूल प्रार्थना पत्र पत्रावली में संलग्न है।

प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस सूनी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया है कि प्रार्थी भूमि हीन होने के कारण राजस्व ग्राम लहसोडा मेंदिनांक 02.06.89 को साविक आराजी खसरा नं0 500 रकबा 10 बीघा कृषि भूमि आवंटन हुई थी। आवंटन होने के पश्चात् गैरखातेदारी का नामान्तकरण संख्या 1223 प्रार्थी के नाम से स्वीकृत हुआ था। तहसीलदार सवाई माधोपुर ने नामानतकरण स्वीकृत करते समय सगीर के बजाय समीर दर्ज कर दिया था [illegible] साविक जमाबन्दी में हो गया । अतः प्रार्थी का नाम शुद्व किये जा[illegible] की [illegible] करे।

प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस सूनी। तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी राजस्व ग्राम लहसोडा के साबिक खसरा नम्बर 500 के हाल खसरा नम्बर 1422/2807 रकबा 2.53 हैक0 में प्रार्थी अपना नाम दुरूस्त करवाना चाहता है। तहसीलदार सवाई माधोपुर की रिपोर्ट के अनुसार सगीर खां पुत्र अब्दुल गफूर

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.12 14:01:21 IST
Reason: SelfAttested

खा लहसोडा को प्रशासन गांवों के संग अभियान 1989 मुकाम लहसोडा में साविक ख0न0 500 में 10 बीघा भूमि का आवंटन हुआ था तथा उक्त आवंटन का नामान्तरण स0 1223 दिनांक 21.06.1990 सगीर खां पुत्र अब्दुल गफूर कोम मुसलमान के स्वीकृत किया गया तथा उक्त नामन्तरण का अमल ग्राम लहसोडा की जमाबंदी सम्वत् 2043–46 में सगीर खां पुत्र अब्दुल गफूर कोम मुसलमान सा0 देह के नाम किया गया। उक्त साविक खसरा नंबर 500 रकबा 42 बीघा 14 बिस्वा के हाल खसरा नम्बरान में से ख0न0 1422/2807 रकबा 2.53 भू प्रबन्ध विभाग के द्वारा तहरीर किये गये थे। दौराने भू प्रबंध की कार्यवाही के भू प्रबंध विभाग ने सहवन से सगीर खां के बजाए समीर खां का अंकन कर दिया गया जो गलत है। प्रकरण में गलती भू प्रबन्ध विभाग द्वारा की गयी है जिसको शुद्व किया जाना न्यायहित में है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में शुद्व किया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

उक्त विवेचन, तथ्यो एवं तहसीलदार सवाई माधोपुर की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सवाई माधोपुर को आदेश दिये जाते है कि राजस्व ग्राम लहसोडा के साबिक खसरा नम्बर 500 के हाल खसरा नम्बर 1422/2807 रकबा 2.53 है0 में प्रार्थी का नाम समीर खॉ पुत्र अब्दुल गफूर के स्थान पर सगीर पुत्र अब्दुल गफूर हाल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे शेष इन्द्राज बदस्तूर यथावत रहेगा। आदेश की प्रति पालना हेतु तहसीलदार सवाई माधोपुर की भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 10/06/2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दफ्तर दाखिला हों।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.12 14:01:21 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल ... चौधरी)

सवाई माधोपुर